बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को०–62/2016– 4033 /कृ0, पटना, दिनांक 28/11/ 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **किशनगंज में हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर की स्थापना के लिए 90 पद एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना के लिए 80 पद कुल 170 (एक सौ सत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा किशनगंज में हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर की स्थापना के लिए 90 पद एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना के लिए 80 पद कुल 170 (एक सौ सत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर तथा इंटिग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांकः 16.05.2013 को प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के आलोक में अबतक डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए पद स्वीकृत किये जा चुके है। डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय में पठन–पाठन का कार्य वर्ष 2015 से चल रहा है। उक्त परिसर में एक मत्स्यकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा की गयी है।

3. एडवांस्ड सेंटर ऑन सेरीकल्चर राज्य में रेशमपालन पर अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर उद्यान विषय पर अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। प्रशासनिक तौर पर डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य के अधीन महाविद्यालय के अतिरिक्त हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर तथा एडवांस्ड सेंटर ऑन सेरीकल्चर कार्यरत होगा। प्रत्येक अनुसंधान संस्थान एक स्वायत संस्थान के रूप में कार्य करेगा। अनुसंधान संस्थान बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अंगीभूत इकाई होगा। किशनगंज में हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना होने से विशेषकर सीमांचल क्षेत्रों में अनानास तथा रेशमपालन करने वाले किसानों को लाभ होगा। छोटे जोत वाले कृषि को लाभकारी बनाने तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विशिष्ट अनुसंधान किया जायेगा। इसके फलस्वरूप राज्य में प्रशिक्षित मानव बल को तैयार करने में मदद मिलेगा।

4. हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है,

पद का नाम	पे–स्केल	ग्रेड–पे	हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर	एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर
Chief Scientist-cum-University Professor	37400-67000	10000	1	1
Associate Professor-cum-Sr. Scientist	37400-67000	9000	8	10
Assistant Professor-cum-Jr. Scientist	15600-39100	6000	29	21
Total			**38**	**32**
Assistant Comptroller	9300-34800	4800		1
Farm Manager	9300-34800	4200	2	1
Accountant	9300-34800	4200	1	1
Steno	5200-20200	2400	1	1
Photographer-cum-artist	9300-34800	4200	1	1
Field Overseer	5200-20200	2400	4	7
Lab Assistant	5200-20200	2000	8	6
Clerk-cum-Computer Operator	5200-20200	2400	2	2

E:\Desk top 5.10.2018\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\Kishanganj (Post Sanction) final.docx

Storekeeper	5200-20200	2400	1	1
Driver	5200-20200	1900	2	2
Library Assistant	5200-20200	1900		2
Garden Supervisor/ Farm Sardar	5200-20200	1800	2	1
Gardener (Mali)	4440-7440	1800	6	2
Lab Attendant	5200-20200	1800	10	6
Peon	5200-20200	1800	4	3
Guard	5200-20200	1800	7	7
Pump Operator	5200-20200	1800	1	1
Attendant of Silk worm	5200-20200	1800		3
Total			52	48
Grand Total			90	80

5. स्वीकृत पदों पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम के अधीन नियुक्तियाँ की जायेगी।

6. उक्त योजना का बजट सामान्य के लिए मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग सं०–1 उपशीर्ष–0108–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415012770108 विषय शीर्ष 0108.31.04 सहायक अनुदान – वेतन, अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415017890103 विषय शीर्ष 0103.31.04 सहायक अनुदान – वेतन तथा अनुसूचति जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415017960104 विषय शीर्ष 0104.31.04 सहायक अनुदान – वेतन है।

7. पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 961.65 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त बजट शीर्ष में उपबंध के अधीन वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बिहार कृषि विश्वविद्यालय को राशि विमुक्त किया जायेगा। आवश्यकता होने पर यथावश्यक निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 03.11.18 को संचिका संख्या–4/कृ0शि0को0–62/2016 के पृ0सं0– 59/टि0 पर प्राप्त है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०– 62/2016 के पृ0सं0– 61/टि० पर दिनांक– 20.11.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.11.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०–62/2016– 4033 /कृ0, पटना, दिनांक 28/11/ 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\Desk top 5.10.2018\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\Kishanganj (Post Sanction) final.docx

ज्ञापांकः 4 / कृ०शि०को०.–62 / 2016– 4033 / कृ0, पटना, दिनांक 28/11/ 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdoiydoo 28.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4 / कृ०शि०को०.–62 / 2016– 4033 / कृ0, पटना, दिनांक 28/11/ 2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / प्राचार्य, डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज / मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdoiydoo 28.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4 / कृ०शि०को०.–62 / 2016– 4033 / कृ0, पटना, दिनांक 28/11/ 2018

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना / बजट प्रभारी, कृषि विभाग / वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Rdoiydoo 28.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\Desk top 5.10.2018\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\Kishanganj (Post Sanction) final.docx